



पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना – रबी 2022-23

**HDFC
ERGO**

उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित

सुरक्षित कृषक, राष्ट्र का गौरव



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) का उद्देश्य वर्षा, तापमान, हवा, नमी आदि से संबंधित प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण अपेक्षित फसल होनि के कारण बीमित कृषकों की कठिनाई को कम करना है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम के मापदंडों का उपयोग "फसल की पैदावार के लिए प्रॉक्सी" के रूप में करती है, जो कि फसल के नुकसान की भरपाई के लिए काश्तकारों को मुआवजा देती है। पेआउट संरचनाओं को मौसम के ट्रिगर का

उपयोग करके होने वाले नुकसान की सीमा तक विकसित किया गया है।

इसतरह, यह योजना कृषकों को आर्थिक स्थिरता प्रदान कर रही है और उन्हें नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके खेती में निरंतरता सुनिश्चित कर रही है।

इस योजना से कौन लाभान्वित हो सकता है:

बटाईदार और काश्तकार सहित सभी कृषक अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने के लिए करवरेज के पात्र हैं। हालांकि, कृषकों को अधिसूचित/बीमित फसलों के लिए बीमापात्र हित होना चाहिए। ऋणदाता कृषकों सहित सभी कृषकों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है। सभी कृषक जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान (सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, निजी बैंकों आदि) से मौसमी कृषि संचालन ऋण/लोन लिया है और उन्होंने कट ऑफ डेट से 7 दिन पहले योजना के ऑफ्ट आउट का विकल्प नहीं चुना है, अपने वित्तीय संस्थानों के स्कीम के तहत नामांकन के लिए पात्र होंगे।



अधिसूचित मौसम में कवर किये गए जोखिम:



निम्न जोखिमों को योजना के तहत कवर किया जाता है:

- ए) सेब के लिए- चिलिंग की आवश्यकता, तापमान में बदलाव, वर्षा की आवश्यकता, बेमौसम/अत्यधिक बरसात, तेज गति की हवा.
- बी) आम के लिए: फल लगने की अवस्था में बर्फ बारी से चोट या कम तापमान, तापमान में बदलाव, बेमौसम बरसात, तेज रफतार हवा
- सी) खट्टे फल और पीच के लिए: तापमान में बदलाव, कम वर्षा, बेमौसम/अत्यधिक बारिश
- डी) प्लम के लिए: तापमान में बदलाव, कम वर्षा, बेमौसम बरसात, तेज रफतार हवा
- ई) उपरोक्त ए से लेकर डी तक के संकटों का मेल

उपरोक्त संकटों को राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अवधि में अधिसूचित किया गया है - विभिन्न फसलों की शीट्स/ उत्पाद संरचनाएँ, रेफरेंस यूनिट एरियाज (आरयूए) और रेफरेंस वेदर स्टेशन (आरडबल्यूएस) हर आरयूए के लिए ।

योजना में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज:

- आधार कार्ड की प्रति।
- पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म।
- नवीनतम भू दस्तावेज/7/12/स्टेट रेकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर)/लैंड पजेशन सर्टिफिकेट (एलपीसी)/खसरा इत्यादि.
- कृषक द्वारा स्वघोषित बुवाई प्रमाण-पत्र ।
- किरायेदार किसानों के लिए लागू अनुबंध/समझौते के लिए शपथ पत्र की प्रति।
- IFSC नंबर और बैंक खाता संख्या या रद्द किए गए चेक की बैंक पासबुक की प्रति।

बीमा दावे का आंकलन एवं भुगतान:

- अधिसूचित संदर्भ मौसम स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए मौसम के आंकड़ों के आधार पर ही दावों का मूल्यांकन किया जाएगा और राज्य और केंद्र सरकार की पूर्ण सन्धि प्राप्ति एवं प्रमाणित मौसम डेटा प्राप्त होते ही दावे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
- दावा मूल्यांकन बीमा अवधि पत्रक भुगतान संरचना और योजना प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के मामलों में एक RUA में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी बीमित कृषकों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के समान स्तर और फसल के नुकसान के समान अनुपात का सामना करना पड़ता है और दावों की समान दर के लिए पात्र हो जाते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित टर्म शीट के अनुसार दावों का मूल्यांकन फसल-वार और वेदर स्टेशन वार किया जाता है।



अधिसूचित जिले: काँगड़ा, किन्नौर, लाहौल और स्पीति, मंडी

मौसम	अधिसूचित फसलें	अधिसूचित जिले	नामांकन के लिए अंतिम दिनांक
रबी 2022-23	सेब	काँगड़ा, किन्नौर, लाहौल और स्पीति, मंडी	20/12/2022
रबी 2022-23	आम	काँगड़ा, मंडी	20/12/2022
रबी 2022-23	सिट्रस (निम्बू वर्गीय)	काँगड़ा	14/02/2023
रबी 2022-23	प्लम	मंडी	28/02/2023
रबी 2022-23	आड़ू	मंडी	28/02/2023

बागवानी की फसलों के लिए किसान प्रीमियम की दर- 5%

मौसम	अधिसूचित फसल	प्रति बीमा पेड़ की संख्या	बीमा राशि प्रति पेड़	किसान प्रीमियम प्रति पेड़	ऐड ऑन इंडेक्स धन (ओला वृष्टि) - बीमा राशि प्रति पेड़	ऐड ऑन इंडेक्स धन (ओला वृष्टि) - किसान प्रीमियम प्रति पेड़
रबी 2022-23	सेब	23	800	40.0	260	13
रबी 2022-23	आम	12	620	31.0		
रबी 2022-23	सिट्रस (निम्बू वर्गीय)	32	495	24.8		
रबी 2022-23	प्लम	26	520	26.0		
रबी 2022-23	आड़ू	40	475	23.8		

ईमेल: pmfby.himachal@hdfcergo.com

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉल करें:

 **1800 2660 700**

गैर-ऋणी कृषक निकटतम वित्तीय संस्थान/बैंक के माध्यम से अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (PACS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/बीमा मध्यस्थ/कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)/कृषक स्वनामांकन हेतु वेबसाइट लिंक के माध्यम से: <https://pmfby.gov.in/farmerLogin>



एचडीएफसी अगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146. CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कारपोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकवे रेकलेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-400020. जोखिम घटकों/नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया विक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लें. ऊपर दशमि ट्रेड लोगो एचडीएफसी लि. और अगो इंटरनेशनल एजी के हैं तथा कंपनी द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत इनका इस्तेमाल किया गया है. यूआईएन: CSC-Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme - HDE-AG-P18-26-V01-17-18 | Restructured Weather based Crop Insurance Scheme -IRDAN125P0005V01201617. UID: 11243.